प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-02.02.2021

अब 28 फरवरी तक जारी रहेगा ऑपरेशन फ्लश आउट

जयपुर। महानिदेशक जेल, राजस्थान, राजीव दासोत द्वारा दिनांक 21 नवंबर, 2020 से राज्य की जेलों में अवांछनीय, निषिद्ध वस्तुओं जैसे मोबाईल, मादक पदार्थ आदि की तस्करी या उपलब्धता तथा जेल से संचालित होने वाली आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे **'ऑपरेशन फ्लश आउट'** के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही की अवधि आगामी 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई है।

गत 10 सप्ताहों में अर्जित की गई सफलताओं एवं उपलब्धियों को चिरस्थाई बनाने तथा उनमें और अभिवृद्धि करने के उद्देश्य के इस अभियान की अवधि बढ़ाई गई है। इस संबंध में महानिदेशक जेल दासोत ने विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि इस अभियान में वे सभी और अधिक उत्साह, लगन, परिश्रम और दृढ़ता से कार्य करें ताकि जेलों में आपराधिक गतिविधियों के संचालन पर पूर्ण अंकुश लगे तथा जेल विभाग की छवि और अधिक उज्ज्वल हो।

महानिदेशक जेल, दासोत ने बताया ' कि राज्य की विभिन्न कारागृहों में **'ऑपरेशन फ्लश आउट'** के अंतर्गत गत 10 सप्ताह में जेलों में 4992 बार आकस्मिक सघन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 77 मोबाइल, 44 सिम कार्ड, 23 चार्जर, 19 ईयर फोन, 08 डाटा केबल, अफीम तंबाकू, चरस, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि पदार्थ बरामद किए गए हैं।

दासोत ने बताया कि आतंक के पर्याय बने 53 हार्डकोर बंदियों को अन्यत्र दूरस्थ जेलों में स्थानांतरित किया गया हैं। इस अभियान के कारण अधिकांश जेलों में विभिन्न अवांछनीय, अनावश्यक, अनाधिकृत एवं अवैधानिक सामग्री तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रवृत्तियों पर रोक लगी हैं।

जेल विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण **'ऑपरेशन फ्लश आउट'** की सफलता के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 107 अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया है जबकि भ्रष्टाचारी, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व मिलीभगत रखने वाले जेल अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की गई हैं।

****